न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर
अशोक कुमार बनाम काली देवी वगैरह
किस्म मुकदमा:-225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रकरण संख्या 2026/73 (केकडी)

रि०आ०ड
16/02/26

	श्री एस०पी०औझा	
16.02.2026	अशोक कुमार बनाम काली देवी वगैरह (2026/73) यह अपील श्री दिनेश शर्मा/शांति प्रकाश औझा एडवोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 123/2025 में पारित आदेश दिनांक 9.02.2026 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई। अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जावें। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया गया। अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र स्थगन बाबत निवेदन किया कि विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकडी के निर्णय दिनांक 09.02.2026 से स्पष्ट है कि उक्त निर्णय में लाडा देवी जो पक्षकारो की माता के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 को खारिज किये जाने के आदेश विस्तृत रूप से पारित किये है लेकिन उसके पश्चात किसी भी पक्षकार की कोई बहस अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र बाबत ना तो लिखी गई है और ना ही सुनी गई है उसके बावजूद अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा नही बढाया जाता है अंकन कर अग्रिम कार्यवाही में पत्रावली नियत कर दी इसलिए उक्त निर्णय इस हद तक निरस्त किय जाने योग्य है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र स्थगन पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र एवं अपील का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि अपीलांट द्वारा दिनांक 26.12.2025 को वाद एवं वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया गया, जिसे दर्ज कर अभिभाषक प्रार्थी को सुनकर एकपक्षीय अंतरिम स्थगन आदेश पारित किये गये। तत्पश्चात प्रकरण में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 जा0दी0 पेश किया गया, जिस पर उभयपक्ष की वहस सुनी जाकर दिनांक 09.02.2026 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 जा0दी0 को खारिज किया गया तथा स्थगन आदेश आगे नही बढाये जाने के आदेश दिये गये। जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उभयपक्ष का जवाब प्रस्तुत हो चुका था तो अधीनस्थ न्यायालय को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 का अंतिम निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्थगन आगे नहीं बढाये जाने के आदेश बिना विवेचन कर पारित किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विचाराधीन है। न्यायहित में हम पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, अपील को इसी स्तर पर बिना गुणावगुण पर टिप्पीणी किये निर्णित कर प्रकरण को इस आशय से अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र में उभय पक्षकारान को जवाब व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का गुणावगुण पर 30 दिवस में निस्तारण करें। **अतः अपील निर्णित की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए,**	

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

लगातार...

RAA

Scanned with CamScanner

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

अशोक कुमार बनाम काली देवी वगैरह

किस्म मुकदमाः—225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 2026 / 73 (केकडी)

श्री एस.पी. ओझा

लगातार....	प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा अस्थायी निषेधाज्ञा का गुणावगुण पर 30 दिवस में निस्तारण करें तब तक उभयपक्ष राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण किये जाने उपरांत हाजा न्यायलाय का आदेश स्वतः निष्प्रभावी माना जायेगा। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, अजमेर

अजमेर /अपील / टी.ए संख्या .....73..... /2026

2026/73

---

1. अशोक कुमार पुत्र नानू जाति गुर्जर निवासी हरिरामपुरा (बघेरा) तहसील केकड़ी जिला अजमेर।

---- अपीलांट

बनाम्

1. श्रीमति काली देवी पत्नि स्व. जीतराम जाति गुर्जर निवासी हरिरामपुरा (बघेरा) तहसील केकड़ी जिला अजमेर हाल निवासी दाताजी तहसील टोडाराय जिला टोंक।

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील केकड़ी जिला अजमेर।

3. भारतीय स्टेट बैंक शाखा बघेरा तहसील केकडी जिला अजमेर।

------- रेस्पोडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी केकड़ी के दिनांक 09.02.2026 प्रकरण संख्या 123/2025

महोदय जी,

अपीलांट की ओर से निम्न निवेदन है कि :-

(क) यह है कि वादी/अपीलांट ने एक राजस्व वाद विद्वान उपखण्ड अधिकारी महोदय, केकड़ी के न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 53, 188, 209, बाबत् बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रतिवादी/रेस्पो. के विरूद्ध प्रस्तुत कर वाद अनुसार डिक्री चाही वाद के साथ ही एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत

Scanned with CamScanner